न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 98 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

1. किशनसिंह पिता स्वर्गीय प्रतापसिंह जी राठौड़, निवासी लखावली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रतनसिंह पिता स्वर्गीय प्रतापसिंह जी राठौड़, निवासी लखावली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवीसिंह पिता स्वर्गीय प्रतापसिंह जी राठौड़, निवासी लखावली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पदमसिंह पिता अमर जी उंठड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अंकुर उदबोधक समिति, रजिस्टर्ड कार्यालय–8–18, शान्तिपथ, तिलकनगर, जयपुर जरिये :–

   (क) सचिव, श्रीमती मोहनी बक्षी

   (ख) कोषाध्यक्ष, हरप्रीत बक्षी
3. गोवर्धन पिता नाथू जी लोहार, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती केसर कुंवर पत्नी जामतसिंह जी देवड़ा, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती अमृती कुंवर पत्नी हरिसिंह जी राजपूत, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. शान्तिलाल पिता सरदारमल जी मारू, निवासी 27, भाणबाग, न्यू फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
7. मनोहरसिंह पिता रूपा जी उंठड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. खूमसिंह पिता अम्बाव जी उंठड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. केसरसिंह पिता अम्बाव जी उंठड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. बंशीलाल पिता जीवराज जी प्रजापत, निवासी बेदला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. मोहनलाल पिता जीवराज जी प्रजापत, निवासी बेदला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. कन्हैयालाल पिता रामा जी डांगी, निवासी डांगलियों की मंगरी, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
13. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
08.08.2016, प्रकरण संख्या 201/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनीष मोगरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री सुनील अरोड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2
4. श्री एच. पी. शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6
5. श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक रेस्पो. सं. 7, 8, 9
6. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 13

———:::———

निर्णय **दिनांक 12–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' से ''ज'' की आराजियात ग्राम प्रतापपुरा में स्थित हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष अमरजी के एक पुत्र पदमसिंह व एक पुत्री भूरीबाई हुई। भूरीबाई के वारिसान वादीगण पुत्र व पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हैं। इस प्रकार अमर जी की जायदाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हक व अधिकार निहित होकर उक्त भूमियों में भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार निहित होकर इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की माता भूरी बाई का निधन करीब 8 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा उनके जीवनकाल में अमर जी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसे करीब 26 वर्ष हो चुके हैं। अमर जी मृत्यु पर प्रतिवादी संख्या 1 ने चुपके–चुपके राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर सम्पूर्ण भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली, जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के मुकाबले बेअसर व शून्य है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार कुछ भूमियां प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को विक्रय कर दी तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर दी। इसके बाद कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 को अलग–अलग विक्रय पत्रों से विक्रय कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा न ही वे कब्जा देने की स्थिति में थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को उनके हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्त किये गये विक्रय पत्रों को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के मुकाबले शून्य व बेअसर घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अमरसिंह जी के कोई लड़की नहीं थी तथा भूरी बाई नामक औरत से अमरसिंह जी का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही पदमसिंह का है। अमरसिंह जी के एक ही जाईन्दा पुत्र हुआ जो प्रतिवादी संख्या 1 है। अमरसिंह जी से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 कोई रक्त सम्बन्ध नहीं

है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने दुर्भावना पूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन हड़पने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 नगर विकास प्रन्यास द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

दौराने कार्यवाही दिनांक 04–01–2016 को आदेशिका अनुसार वादीगण द्वारा आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर आराजी संख्या 404 व 405 रकबा 0.1338 हैक्टर के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध वाद विड्रो करने का निवेदन किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–01–2016 को ही स्वीकार किया जाकर शेष वाद जारी रखने का आदेश दिया गया।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का निधन उक्त वाद प्रस्तुत करने के करीब 8 वर्ष पूर्व यानि वर्ष 2003 में ही हो गया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरसिंह जी का देहान्त वाद प्रस्तुत करने के करीब 26 वर्ष पूर्व यानि वर्ष 1985 में हो गया। वादीगण के कथनानुसार अमरसिंह जी के निधन के पश्चात प्रतिवादी पदमसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर दिनांक 22–06–1989 को नामान्तरकरण संख्या 6 के जरिये सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवा ली एवं वादीगण की माता का नाम दर्ज नहीं करवाया, जबकि वादीगण का भी समान रूप से हक अधिकार है। अमरसिंह जी का देहान्त सन् 1985 में हो चुका था तथा सन् 1985 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निर्दिष्ठ विधि अनुसार हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति में जीवित पुरूष उत्तराधिकारी के होते हुए किसी महिला को सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, महिलाओं को यह अधिकार हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन वर्ष 2005 के पश्चात् दिये गये। ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–10–2015 से भी होती है। अतएवं वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। प्रतिवादीगण ने जो तथ्य अंकित किये हैं वे जवाबदावे में नहीं उठाये हैं, जबकि उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत

किया जा चुका हैं, जिन पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय किया जावेगा। मात्र वाद को लम्बित करने के लिए उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 08–08–2016 को निम्नानुसार अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया :–

''बकुलाये पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि अमरजी पिता चतुरभुज जी उठड की मौरूसी सम्पत्ति है या स्वअर्जित AIR 2012 (SC) 3912 "Everu Fact which is necessary for the Plantiff to prove to enable him to get a decree should be set out in Ciear Terms." अतः आदेश 7 नियम 11 (A) के अनुसार वाद हेतुक में अस्पष्टता से वाद चलने योग्य नहीं है। यदि इसे मौरूसी भूमि माना भी जाये जैसाकि यह पढ़ने से प्रतीत होता है तब भी सुप्रिम कोर्ट सिविल अपील संख्या 4217/2013 के अनुसार यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08–08–2016 से रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–09–2016 को प्रस्तुत की गयी।

दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ दस्तावेजात पेश किये। उक्त सभी दस्तावेजात राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष मोगरा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुनील अरोड़ा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री एच. पी. शर्मा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8, 9 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों को समझे बिना ही व उस पर मनन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया, जबकि कथित प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने कहीं पर भी अपने वाद में विवादित आराजियात को मौरूसी होने का कथन नहीं किया है, बल्कि विरासत के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा चाही है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा विवादित भूमियां में अपने नाना अमर जी के मरने के समय अपनी माता को जीवित होने का कथन करते हुए अमर जी के मरने के बाद पुत्री भूरी बाई को विरासत से वंचित किये जाने का कथन किया है तथा भूरी बाई के वारिसान होने के कारण वादीगण ने खातेदारी घोषणा चाही है। वाद पत्र में वादीगण ने कहीं पर भी विवादित भूमियां मौरूसी होने का कथन नहीं किया है तथा प्रतिवादी ने यह कथन अपने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन में किया है, जिन पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि भूमियां मौरूसी हों तो भी पिता की मृत्यु के बाद कोपार्शनर के रूप में पुत्री का भी हक बनता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में वर्णित तथ्यों के स्थान पर कि वादीगण की माता भूरी बाई अमर जी की पुत्री है अथवा नहीं तथा भूमियां मौरूसी हैं अथवा नहीं इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया है, जो साक्ष्यों का मोहताज है। वादीगण द्वारा वाद में किये गये कथन व प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में किये गये कथनों के आधार पर साक्ष्यों की कोई विवेचना नहीं की है तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन के आधार पर प्रकरण में सरसरी

निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–08–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर प्रकरण में विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12–11–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चेनराम पिता स्वर्गीय नाथू जी भील, निवासी मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **खेमा पिता हेमराज जी भील, नि0 मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**19/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**03**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अर्जुन मेनारिया** .....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री अनुराग शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।